संख्या-14/2016/530/94-स्टा०नि०-2-2016-700(223)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 6 जून, 2016

विषय- ई-स्टाम्प के चोरी हो जाने, खो जाने अथवा विनष्ट हो जाने पर द्वितीय प्रति निर्गमन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-5/1124(1)/सं०वि०क०नि०-7-2014/700(223)/13, दिनांक 30-10-2014 द्वारा ई-स्टाम्प के चोरी हो जाने, खो जाने अथवा विनष्ट हो जाने की दशा में ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति निर्गमन के लिए ई-स्टाम्प क्रेता द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने तथा उक्त रिपोर्ट की प्रति सहायक महानिरीक्षक, निबंधन को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की व्यवस्था की गयी थी।

2. उपरोक्त संबंध में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ऐसे प्रकरणों में थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट के स्थान पर Non Cognizable Complaint (N.C.R.) ही दर्ज की जा रही है तथा उक्त N.C.R. की प्रति के साथ सहायक महानिरीक्षक, निबंधन के समक्ष ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के निर्गमन के लिए आवेदन किया जा रहा है।

3. उपरोक्त के क्रम में आपसे यह अनुरोध है कि ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के चोरी हो जाने, खो जाने अथवा विनिष्ट हो जाने की दशा में संबंधित थाने में दर्ज करायी गयी N.C.R. पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट की भांति ही संबंधित पक्षकार के पक्ष में प्रश्नगत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के निर्गमन के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में शेष व्यवस्थाएं पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-5/1124(1)सं०वि०क०नि०-7-2014/700(223)/13, दिनांक 30-10-2014 समान ही रहेंगी।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ०संख्या-14/2016/530(1)/94-स्टा०नि०-2-2016-700(223)/13, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप-महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप-निबंधक, निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।